



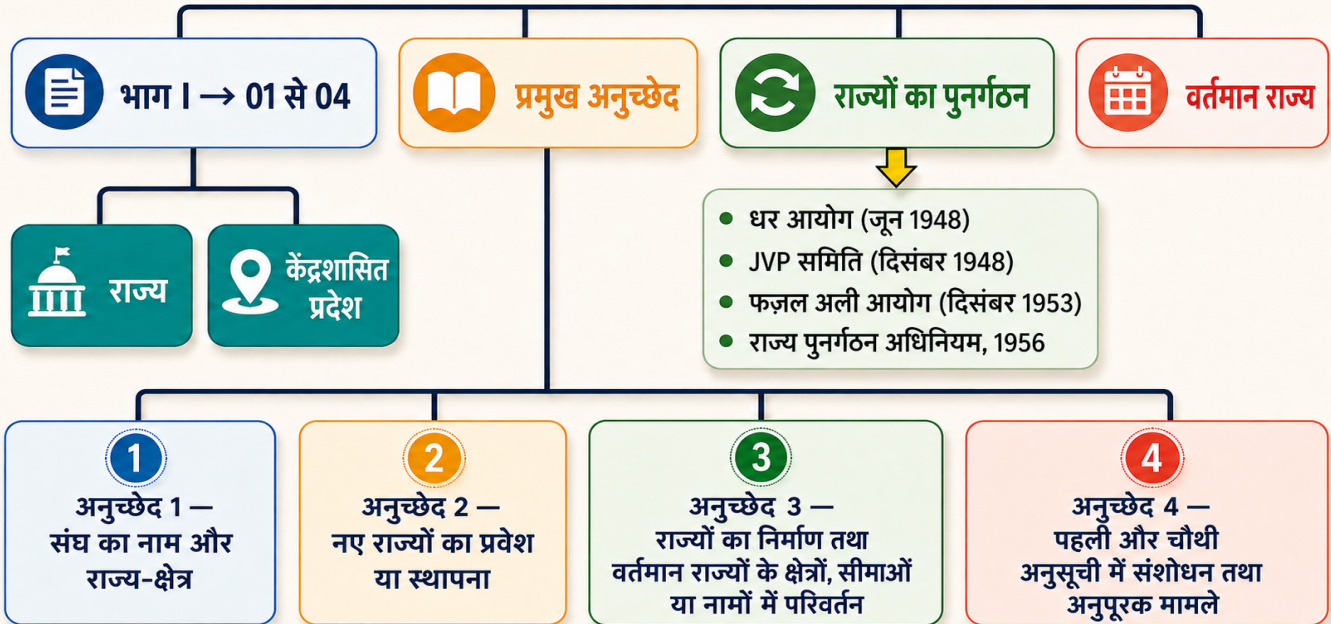
Union and its territories (संघ और उसके राज्य क्षेत्र)

Join SelectionWay GS Channel

Join SelectionWay GS Channel

Shubham Gupta Sir

संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र



सामान्य परिचय

भाग का नाम	संघ और उसका राज्यक्षेत्र
सम्मिलित अनुच्छेद	अनुच्छेद 1 से 4 (कुल 4 अनुच्छेद)
संबंधित अनुसूचियाँ	पहली अनुसूची (राज्य व संघ राज्यक्षेत्र की सूची) एवं चौथी अनुसूची (राज्यसभा में सीटों का आवंटन)
वर्तमान स्थिति (2026)	28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश

प्रमुख अनुच्छेद

अनुच्छेद 1 : संघ का नाम और राज्यक्षेत्र

- देश के औपचारिक नाम
 - भारत
 - इंडिया

1(1): "इंडिया, अर्थात् भारत, राज्यों का एक संघ होगा।"

- राज्य व उनके राज्यक्षेत्र

- प्रथम अनुसूची
- संघ (Union) ⇒ राज्य मात्र
- राज्यक्षेत्र (Territory) ⇒ राज्य + केंद्र शासित प्रदेश + अर्जित

- राज्यों का संघ

- राजपद्धति का प्रकार
- कनाडा से प्रभावित
- राज्य का संघ
- "राज्यों का परिसंघ"

➤ समझौते का परिणाम नहीं

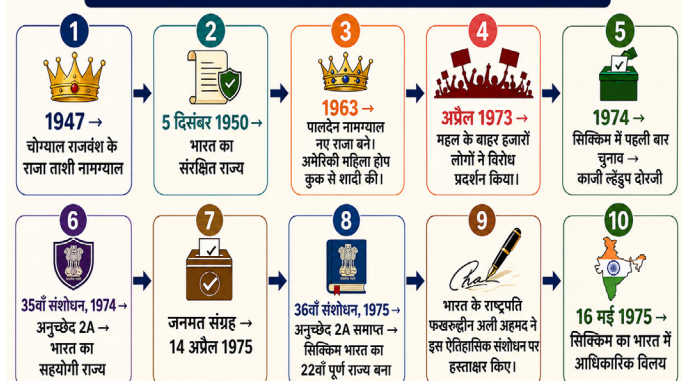
➤ राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं

➤ विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ

अनुच्छेद 2 — नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना



सिक्किम का भारत में विलय : समयरेखा



अनुच्छेद 3 : नए राज्यों का निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन

संसद की शक्तियाँ



साधारण बहुमत से पारित →
अनुच्छेद 368 लागू नहीं



1) संसदीय विधि द्वारा



नए राज्यों का निर्माण



राज्यों के क्षेत्र में वृद्धि



राज्यों के क्षेत्र में कमी



राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन



राज्य के नाम में परिवर्तन



राज्यों के पुनर्गठन हेतु →
राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक है

- यदि कोई विधेयक किसी राज्य को प्रभावित करता है, तो राष्ट्रपति उसे संबंधित राज्य विधानमंडल को एक निर्धारित अवधि के भीतर राय देने हेतु भेजेगा।



लागू — उन क्षेत्रों पर जो
पहले से भारत का हिस्सा हैं

★ पाँचवाँ संविधान संशोधन, 1955 ★



- राष्ट्रपति/संसद राज्य विधानमंडल की राय से बाध्य नहीं है।



- ✓ राज्य विधानमंडल राय न भी दे, तो निर्धारित अवधि के बाद संसद आगे बढ़ सकती है।



- केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में विधानमंडल को भेजना आवश्यक नहीं है।

अनुच्छेद 4 : पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ।

- अनुच्छेद 4 : नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना (अनुच्छेद 2) और नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों या नामों में परिवर्तन (अनुच्छेद 3) के लिए संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून, अनुच्छेद 368 के तहत 'संविधान संशोधन' नहीं माना जाएगा।
 - यह अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया से बाहर होगा।।
 - यह साधारण बहुमत से होता है।
- क्या भारत अपना क्षेत्र किसी अन्य देश को सौंप सकता है?
 - बेरुबारी संघ मामला (1960) → संसद अनुच्छेद 3 के तहत साधारण बहुमत से किसी भारतीय क्षेत्र को विदेशी देश को नहीं सौंप सकती।
 - इसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करना अनिवार्य होगा।
 - उदाहरण के लिए: 100वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, जिसके द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच क्षेत्रों का आदान-प्रदान किया गया।

राज्यों का पुनर्गठन



- 01 स्वतंत्रता के समय भारत का क्षेत्रीय स्वरूप
- 02 मूल संविधान में राज्यों का चार-स्तरीय वर्गीकरण (1950)
- 03 भाषाई पुनर्गठन की पृष्ठभूमि
- 04 आयोग एवं समितियाँ
- 05 राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 एवं 7वाँ संविधान संशोधन
- 06 1956 के बाद नए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का गठन
- 07 संबंधित संवैधानिक प्रावधान



धर आयोग
(जून 1948)



जेवीपी समिति
(1948)



पोटि श्रीरामुलु
(1953)



फज़ल अली आयोग
(दिसंबर 1953)

आयोग एवं समितियाँ

❖ धर आयोग : जून 1948

- अध्यक्ष → जस्टिस एस.के. धर
- इसे प्रथम भाषाई प्रांत आयोग भी कहते हैं।
- रिपोर्ट (दिसम्बर 1948) : पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि प्रशासनिक सुविधा व भौगोलिक समीपता के आधार पर हो।
- परिणाम : भाषाई समूहों में व्यापक असंतोष।

❖ JVP समिति : 1948-49

- धर आयोग के असंतोष पर विचार हेतु कांग्रेस ने दिसम्बर 1948 में गठित की; रिपोर्ट अप्रैल 1949
- निष्कर्ष : समिति ने भी भाषा को आधार अस्वीकार किया — राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा व आर्थिक हितों को प्राथमिकता; परन्तु प्रबल जनदबाव पर पुनर्विचार का संकेत।

JVP	सदस्य
J	जवाहरलाल नेहरू
V	वल्लभभाई पटेल
P	पट्टाभि सीतारमैया

❖ **पोट्टी श्रीरामुलु एवं आन्ध्र आंदोलन - पहला भाषाई राज्य**

- माँग : तेलुगुभाषी लोगों हेतु मद्रास से पृथक् आन्ध्र राज्य।
- आमरण अनशन :
 - ◆ 19 अक्टूबर 1952 → 15 दिसम्बर 1952 (निधन : लगभग 58 दिन)
 - ◆ उपाधि — 'अमरजीवी'।
- जन-आक्रोश पर नेहरू ने 19 दिसम्बर 1952 को पृथक् आन्ध्र राज्य की घोषणा की।
- आन्ध्र राज्य का गठन : 1 अक्टूबर 1953 — मद्रास के तेलुगुभाषी (उत्तरी) जिलों से; राजधानी कर्नूल। यह भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य।

- 1953 का आन्ध्र राज्य और 1956 का आन्ध्र प्रदेश अलग हैं।
- 1 नवम्बर 1956 को आन्ध्र राज्य + हैदराबाद के तेलंगाना क्षेत्र को मिलाकर आन्ध्र प्रदेश बना (राजधानी हैदराबाद)।

❖ **फजल अली आयोग - राज्य पुनर्गठन आयोग, 1953**

- 29 दिसम्बर 1953 (पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु के बाद)

○ सदस्य (3) :

- ◆ फजल अली (अध्यक्ष)
- ◆ के.एम. पणिक्कर
- ◆ हृदयनाथ कुंजरू।

○ रिपोर्ट : 30 सितम्बर 1955।

○ आयोग ने चार-स्तरीय वर्गीकरण समाप्त करने की सिफारिश की।

○ सिफारिश : 16 राज्य + 3 UT

- ◆ राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 → 1 नवम्बर 1956
- ◆ 7वाँ संविधान संशोधन
- ◆ कार्यान्वयन में अंततः → 14 राज्य + 6 UT

#	कारक
1	देश की एकता एवं अखंडता
2	भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता
3	वित्तीय, आर्थिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था
4	जन-कल्याणकारी योजनाएँ



States Reorganisation Act, 1956 and the 7th Constitutional Amendment



States Reorganisation Act, 1956

Old Classification Abolished	The classification of states into Parts A, B, C and D was completely abolished.
New Structure	The country was reorganised into 14 States and 6 Union Territories (UTs).
Major Merger	Madhya Bharat, Vindhya Pradesh and Bhopal were merged to form the new State of Madhya Pradesh.
Other Mergers	Ajmer was merged with Rajasthan; Saurashtra and Kutch were merged with Bombay; and Coorg was merged with Mysore.
New State	The Telugu-speaking areas of Hyderabad State were merged with Andhra State to form Andhra Pradesh.

7th Constitutional Amendment Act, 1956

Article 1 and First Schedule	A new classification of States and Union Territories was introduced.
Part VII Repealed	Part VII of the Constitution, which dealt with Part B States, was repealed.
Governors — Article 153	The same person may be appointed as Governor of two or more States.
High Courts — Article 231	Parliament was empowered to establish a common High Court for two or more States.
Administration of UTs	The jurisdiction of a High Court was extended to Union Territories.
Linguistic Minorities	Articles 350A (primary education in the mother tongue) and 350B (appointment of a Special Officer) were added.



भारत में नए राज्यों का गठन

राज्य स्थापना की तिथियाँ



1. आंध्र प्रदेश	1 अक्टूबर, 1953	9. सिक्किम	16 मई, 1975
2. गुजरात	1 मई, 1960	10. मिजोरम	20 फरवरी, 1987
3. नागालैंड	1 दिसंबर, 1963	11. अरुणाचल प्रदेश	20 फरवरी, 1987
4. हरियाणा	1 नवंबर, 1966	12. गोवा	30 मई, 1987
5. हिमाचल प्रदेश	25 जनवरी, 1971	13. छत्तीसगढ़	1 नवंबर, 2000
6. मेघालय	21 जनवरी, 1972	14. उत्तराखंड	9 नवंबर, 2000
7. मणिपुर	21 जनवरी, 1972	15. झारखंड	15 नवंबर, 2000
8. त्रिपुरा	21 जनवरी, 1972	16. तेलंगाना	2 जून, 2014



भारत में राज्यों के लिए विशेष उपबंध अनुच्छेद 371 से 371J तक



अनुच्छेद	राज्य	मुख्य विशेष प्रावधान
371	महाराष्ट्र एवं गुजरात	कुछ क्षेत्रों के लिए अलग विकास बोर्ड; विकास निधि का समान वितरण और संतुलित अवसर।
371A	नागालैंड	नागा धार्मिक-सामाजिक प्रथाओं, प्रथागत विधि, भूमि एवं संसाधनों का संरक्षण।
371B	असम	विधानसभा में जनजातीय क्षेत्र समिति के गठन का प्रावधान।
371C	मणिपुर	पर्वतीय क्षेत्र समिति तथा राज्यपाल की विशेष जिम्मेदारी।
371D	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना	सरकारी रोजगार और शिक्षा में समान अवसर; क्षेत्रीय संतुलन।
371E	आंध्र प्रदेश	संसद द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान।
371F	सिक्किम	भारत में विलय से जुड़े विशेष उपबंध; विभिन्न वर्गों के हितों की रक्षा।
371G	मिजोरम	धार्मिक-सामाजिक प्रथाओं, प्रथागत विधि, भूमि स्वामित्व और हस्तांतरण का संरक्षण।
371H	अरुणाचल प्रदेश	विधि-व्यवस्था के संबंध में राज्यपाल की विशेष जिम्मेदारी; विधानसभा में न्यूनतम 30 सदस्य।
371I	गोवा	विधानसभा में न्यूनतम 30 सदस्य।
371J	कर्नाटक	विशेष क्षेत्र के लिए विकास बोर्ड; निधि, शिक्षा एवं रोजगार में विशेष अवसर।

💡 याद करने की ट्रिक

“महा-गुजरात में नागा, असम-मणि;
आंध्र दो बार, फिर
सिक्किम-मिजो-अरुण-गोवा-कर्नाटक”

क्रम याद रखें

371 → 371A → 371B → 371C → 371D
371E → 371F → 371G → 371H → 371I → 371J

महत्वपूर्ण जोड़ी

371A — नागालैंड:
नागा रीति-रिवाज और
भूमि-संसाधन

371G — मिजोरम:
मिजो रीति-रिवाज और
भूमि

ध्यान रखें

- अनुच्छेद 370 — जम्मू-कश्मीर
- अनुच्छेद 371-371J —
अन्य राज्यों के विशेष उपबंध

**370 और 371-श्रृंखला को
न मिलाएँ।**

🔄 एक-पंक्ति पुनरावृत्ति: 371 महाराष्ट्र-गुजरात | A नागालैंड | B असम | C मणिपुर | D आंध्र-तेलंगाना | E आंध्र | F सिक्किम | G मिजोरम | H अरुणाचल | I गोवा | J कर्नाटक